

प्रारूप-45
रिन्टेड एमोप्ट वृक्षारोपण योजना का प्रावजन

परियोजना का नाम:-

जनपद टि०ग० के अन्तर्गत विकासखण्ड हिण्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम (मन्दबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण विषयक

रिन्टेड एमोप्ट वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रफल

0.60 है०

200 पौध प्रति है०

प्रथम चरण

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	प्रति	घनराशि
1	गडढा खुदान 0.60X0.60X0.60	सं०	120	17.8	सं०	2136.00
2	पौध की कीमत शोभाकार पौध बाजार भाव से 5' ऊँचाई	सं०	120	20.00	सं०	2400.00
3	लोहे के ट्री गार्ड	सं०	120	1600.00	सं०	192000.00
योग प्रथम चरण						196536.00
द्वितीय चरण						
1	गडढा भरान 0.60X0.60X0.60	सं०	120	2.82	सं०	338.4
2	गडढों में जैविक खाद मिलाने हेतु खाद क्रय 100 ग्राम प्रति गडढा	कि०ग्रा०	10.200	100.00 प्र० 10	सं०	1020.00
3	पौधशाला से सड़क तक पौध की ढुलाई एवं गाड़ी में भरान करना 1 कि०मी०		120.000	214.00		2508.00
4	पौध ढुलान देहरादून से दूरी 190 कि०मी० (9"X6")	सं०	120	11.00	सं०	2244.00
5	ट्रक से पौध उतारना व कार्यस्थल तक ढुलान करना	ल०सं०				1000.00
6	पौध रोपण	सं०	120	2.85	सं०	342.00
7	निराई गुडाई प्रथम बार	सं०	120	2.53	सं०	303.60
8	द्वितीय बार	सं०	120	1.26	सं०	151.20
9	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार	माह	7	6870	सं०	48090.00
योग						55997.2
रोपण के बाद (तीसरे वर्ष से दसवें वर्ष तक) वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार						
1	तृतीय चरण	माह	12	6870.00	माह	82440.00
2	चतुर्थ चरण	माह	12	6870.00	माह	82440.00
3	पंचम चरण	माह	12	6870.00	माह	82440.00
4	षष्ठ चरण	माह	12	6870.00	माह	82440.00
5	सप्तम चरण	माह	12	6870.00	माह	82440.00
6	अष्टम चरण	माह	12	6870.00	माह	82440.00
7	नवम चरण	माह	12	6870.00	माह	82440.00
8	दसम चरण	माह	12	6870.00	माह	82440.00
योग						659520.00
कुल योग						912053.20
या (लाख रुपये में)						9.12

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती

वन क्षेत्राधिकारी
माणिकनाथ रेंज
डांगचीरा
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

प्रारूप-46

परियोजना का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0-76/2017 विकास खण्ड-हिन्दोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों/पथ वृक्षारोपण/100 वृक्षों/काटे जाने वाले वृक्षों की एवज में दस गुना वृक्षों/बौनी प्रजातियों के वृक्षों के रोपण का प्राक्कलन तथा प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण के उपरान्त प्रभावित होने वाली वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी। दस गुना वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न है।



जिला युवा कल्याण एवं एवं
प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल